नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2013

सा.का.नि. 41.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अखिल भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन (मुख्य मृदा सर्वेक्षण अधिकारी) भर्ती नियम, 2004 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) के अधीन भारतीय मृदा एवं भू-उपयोग सर्वेक्षण में मुख्य मृदा सर्वेक्षण अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मृदा एवं भू-उपयोग सर्वेक्षण (मुख्य मृदा सर्वेक्षण अधिकारी) भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड, ग्रेड वेतन सहित	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुख्य मृदा सर्वेक्षण अधिकारी	1* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-4, 37400—67000 रु. (ग्रेड वेतन 8700 रु.)	लागू नही होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
संयुक्त पद्धति द्वारा (प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा और प्रोन्नति भी है)	**प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या कानूनी या स्वशासी संगठनों या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो मूल कॉडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के संबंध में या मूल कॉडर/विभाग में वैसे ही या सदृश वेतनमान या श्रेणी के अधिकारियों के संबंध में जिन्होंने वेतन बैंड-3 (15600—39100 रु.) + ग्रेड वेतन 7600 रु. के वेतनमान में नियमित आधार पर इस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है; और (iii) केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के संबंध में या मूल कॉडर/विभाग में वैसे ही या सदृश वेतनमान या श्रेणी के अधिकारियों के संबंध में जिन्होंने वेतन बैंड-3 (15600—39100 रु.) + ग्रेड वेतन 6600 रु. के वेतनमान में नियमित आधार पर इस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 10 वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो :— **आवश्यक :** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मृदा विज्ञान में एम.एस.सी. या मृदा विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ कृषि रसायन विज्ञान में एम.एस.सी. (ii) मृदा सर्वेक्षण में बारह वर्ष का अनुभव । **वांछनीय :** आकाशी फोटो निर्वचन (एरियल फोटो इंटरप्रेटेशन) या सर्वेक्षण प्लानिंग और मोनीटरिंग तथा सुदूर संवेदनशील और भौगोलिक सूचना प्रणाली का प्रयोग करके अंकीय आकाशीय प्रणाली के जनन सहित मृदा संरक्षण की किसी अन्य शाखा में न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव । ऐसा मृदा सर्वेक्षण अधिकारी जिन्होंने वेतन बैंड-3 (15600—39100 रु.) + ग्रेड वेतन 7600 रु. जिसने उस पद पर 5 वर्ष नियमित सेवा की हो या ऐसा मृदा सर्वेक्षण अधिकारी वेतन बैंड-3 (15600—39100 रु.) + ग्रेड वेतन 6600 रु. जिसने उस पद पर 10 वर्ष नियमित सेवा की है के संबंध में भी बाहरी व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा । यदि उसका उस पद पर नियुक्ति के लिए चयन कर लिया जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा । पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है, की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर

(11)
प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।
टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए 1-1-2006 वह तारीख जिससे छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है से किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। सिवाय वहां के जहां एक से अधिक पुनरीक्षित वेतनमान को सामान्य ग्रेड वेतन का वेतनमान में विलय कर दिया गया है और जहां यह फायदा उस पद (उन पदों) के लिए ही विस्तारित किया गया है, जिनके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हैं ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है) पर नियुक्ति करते समय ।

[फा. सं. 16-1/2009-एनआरएम-II]

भीम सिंह, अवर सचिव (एनआरएम)

टिप्पण : मूल भर्ती नियम सा.का.नि. 1442 तारीख 23-9-1962 को प्रकाशित किए गए थे और उनमें तारीख 10-6-2004 को प्रकाशित सा.का.नि. 223 द्वारा संशोधन किए गए ।

New Delhi, the 8th February, 2013

G.S.R. 41.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the All India Soil and Land Use Survey Organisation (Chief Soil Survey Officer) Recruitment Rules, 2004, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Chief Soil Survey Officer in the Soil and Land Use Survey of India under the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Co-operation), namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Soil and Land Use Survey of India (Chief Soil Survey Officer) Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale.—The number of the said posts, its classification and the pay band, grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation wtih the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band, Pay Scale with Grade Pay	Whether selection or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Chief Soil Survey Officer	1* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	PB-4, Rs.37400—67000 (Grade Pay : Rs. 8700)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
By Composite Method (Deputation including short-term contract plus Promotion)	**Deputation (including short-term contract) :—** Officers under the Central or State Governments or Union Territories or Public Sector Undertakings or Universities or Recognised Research Institutions or Statutory or Autonomous Organisations or Indian Council of Agriculture Research : (A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years' service in grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay PB-3 : Rs. 15600—39100 Grade Pay : GP 7600 for officers from Central Government or in similar or analogous scale or grade for others in the parent cadre or department; and

(11)

(iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay PB-3 : Rs. 15600—39100 Grade Pay : GP 6600 for officers from Central Government or in similar or analogous scale or grade for others in the parent cadre or department; and

(B) possessing the educational qualifications and experience :

Essential :

(i) M.Sc. in Soil Science or M.Sc. in Agricultural Chemistry with specialisation in Soil Science from a recognised University.

(ii) Twelve years' experience in Soil Survey.

Desirable :

Minimum one year experience in aerial photo-interpretation or any other branch of Soil Conservation including survey planning and monitoring and generation of digital spatial data using Remote Sensing and Geographical Information System.

The Departmental Senior Soil Survey Officer (PB-3 : Rs. 15600—39100 Grade Pay : GP 7600) with five years' regular service in the post or Soil Survey Officer (PB-3 : Rs. 15600—39100 Grade Pay : GP 6600) with ten years' regular service in the post shall also be considered along with outsiders. In case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation.

Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 1 : Period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 5 (five) years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Note 2 : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract).

[F. No. 16-1/2009-NRM-II]

BHIM SINGH, Under Secy. (NRM)

Note : The principal recruitment rules have been notified *vide* G.S.R. 1442 published on 23-9-1967 and amended *vide* G.S.R. 223 published on 10-6-2004.

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2013

सा.का.नि. 42.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय मृदा एवं भू-उपयोग सर्वेक्षण (नक्शानवीस) भर्ती नियम, 2008 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने को लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) के अधीन भारतीय मृदा और भू-उपयोग सर्वेक्षण में नक्शानवीस के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मृदा एवं भू-उपयोग सर्वेक्षण (नक्शानवीस) भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड, ग्रेड वेतन सहित	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नक्शानवीस	22* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित